पटना में दिनांक–27 नवम्बर, 2015 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

वित्त विभाग

2.	बिहार राज्य के कोषागारों तथा वित्तीय प्रबंधन को पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड करने हेतु 219.86 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर Comprehensive Financial Management System (CFMS) ई–निधि विकसित एवं संस्थापित करने तथा अगले 7 वर्षो तक इसके परिचालन एवं रख–रखाव BSEDC (बेल्ट्रॉन) के माध्यम से करने की योजना की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

3.	C.W.J.C No.-10764/2006, परमानन्द सिन्हा बनाम राज्य सरकार में दिनांक 04.07.2007, L.P.A. No.-898/2007 में दिनांक 12.02.2008, S.L.P. No.-10391/2008 में दिनांक–08.08.2008 तथा M.J.C No.-747/2008 में दिनांक–16.04.2009, दिनांक–18.09.2015 एवं दिनांक–23.11.2015 को पारित आदेशों के अनुपालन में श्री परमानन्द सिन्हा, तत्कालीन सह प्राध्यापक, (खनन–सर्वेक्षण) सेवानिवृत को उनके द्वारा अपने कार्यो के अतिरिक्त दिनांक–13.01.1986 से 31.01.1998 तक संस्थान के प्राचार्य के उत्तरदायित्व के निर्वहन के फलस्वरूप उक्त अवधि का प्राचार्य का अनुमान्य वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति इसे पूर्वोद्धाहरण नहीं माने जाने के शर्त्त के साथ प्रदान करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4.	डा० सुबोध कुमार, तत्कालीन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दुल्लहपुर, वैशाली, हाजीपुर को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

5. राजगीर में राईट्स लिमिटेड, गुड़गांव के माध्यम से नये आकाशीय रज्जूपथ के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत 10.84 करोड़ रूपये की राशि को पुनरीक्षित कर 2018.56776 लाख रूपये (बीस करोड़ अठारह लाख छप्पन हजार सात सौ छिहत्तर रूपये मात्र) की स्वीकृति। | 5. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

6. वर्ष 2015–16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रू० के अधीन रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रू० की अनुमति की स्वीकृति। | 6. **स्वीकृत।**